रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-248011
CG-DL-E-10082023-248011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त, 10, 2023/श्रावण 19, 1945
No. 469] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST, 10, 2023/SHRAVANA 19, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023.

सा.का.नि. 598(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 01 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या. **सा.का.नि** 407 (असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले,इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 02 जून, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना फ.सं. टी.21017/20/2021-एनसीडी.I (एनपीपीसीडी)/भाग, दिनांक 4 मई, 2023 के जरिए यथा संशोधित स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचित किया गया है।"

[सं. 38-17/2022-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 21 जुलाई, 2023 की सा.का.नि. 528 (असा.) के जरिए अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August,2023.

G.S.R. 598(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016),*vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 407(E), dated the 1st June, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 2nd June, 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) Accessibility Standards for HealthCare, notified by the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, *vide* notification number F.No. T.21017/20/2021-NCD.I (NPPCD)/Part., dated the4th May, 2023."

[No. 38-17/2022-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 528 (E) , dated the 21st July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.